संख्या– 84 /XXVII(1)/2013

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 8 फरवरी, 2013

विषय : वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट के उपयोग हेतु आहरण एवं वितरण का कार्य दिनांक 31.03.2013 में ही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष के अधीन बजट एवं लेखा सम्बन्धी प्रकिया तथा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किये जाने विषयक ***शासनादेश संख्या–125/XXVII(1)/2012 दिनांक 12 मार्च, 2012*** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसमें वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित देयक कोषागार में विलम्बतम दिनांक 20 मार्च तक प्रस्तुत करने की प्रकिया निर्धारित है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मार्च माह में मार्च का वेतन आहरित न होने तथा अप्रैल माह में दो माह के वेतन के आहरण तथा गत् वित्तीय वर्ष के मार्च माह के अत्यधिक धनराशि के चैक अप्रैल में आहरित करने की प्रकिया से अप्रैल माह में कैश की ऋणात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे सभी प्रकार के भुगतान रूकने की सम्भावना बनी रहती है। अतः एक वित्तीय वर्ष का कैश भार ठीक बाद के वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत न हों इसके लिये सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31.03.2013 तक निर्गत चैक दिनांक 31.03.2013 तक ही बैंक/ट्रैजरी से कैश किये जाय, उक्त व्यवस्था डी0सी0एल0, सी0सी0एल0 एवं पी0एल0ए0 के चैकों पर समान रूप से लागू होगी। राज्य की वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुये पार्किंग फण्ड हेतु धनराशि का न तो आहरण किया जाय तथा न कार्य होने की प्रत्याशा में ड्राफ्ट बनाकर रखा जाय। इस प्रकार का कृत्य वित्तीय अनुशासनहीनता की

BUDGET

श्रेणी में आयेगा तथा दोषी कर्मियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेंगी। अतः सभी प्रशासकीय विभाग अपनी वित्तीय स्वीकृति की समय सारिणी इस प्रकार बना लें कि *सभी स्वीकृतियों के देयकों हेतु कोषागार से प्राप्त चेकों का भुगतान दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त किया जाना सुनिश्चित* किया जा सके।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :यथोक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या ८५ (1)/XXVII(1)/2013 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग, माजरा देहरादून।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय एकक देहरादून।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

BUDGET